**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**आर्थिक कार्य विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 301**

**(जिसका उत्तर सोमवार, 24 जून, 2019/3 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है।)**

**विदेश से कर्ज लेने संबंधी नीति**

**301. श्री असादुद्दीन ओवैसीः**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में क्षेत्रक नियंत्रण को हटाने वाले स्वचालित मार्ग के तहत विदेशी फंड जुटाने के लिए सभी पात्र संस्थाओं को अनुमति देते हुए विदेशी ऋण के लिए एक नई नीति अधिसूचित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आरबीआई के इस कदम से कारोबार करने में आसानी में सुधार करने में किस हद तक मदद मिलेगी; और

(घ) व्यापार करने में आसानी के लिए नई नीति में पहले के ट्रैक । और ट्रैक ॥ क्षेत्रक नियंत्रण को किस प्रकार हटाने की संभावना है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से विदेशी वाणिज्यिक ऋणों (ईसीबी) और रुपए मूल्यवर्गित बांडों के मौजूदा स्वरूप को युक्तिसंगत बनाया है और इस संबंध में तारीख 16 जनवरी, 2019 का ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 17 जारी किया है। दिशा-निर्देशों में निर्धारित कुछ निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन स्वतः मार्ग के अंतर्गत प्रति वित्त वर्ष 750 मिलियन अमरिकी डॉलर तक या इसके समकक्ष विदेशी वाणिज्यिक ऋणों (ईसीबी) की अनुमति है। उक्त परिपत्र की प्रति निम्नलिखित लिंक पर दी गई हैः

https:rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NT1096DD257F73C9F4BD280F9C2A2CAD084F1.PDF

(ग): भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के परामर्श से भारतीय निकायों की उभरती हुई वित्तीय आवश्यकताओं और वृहत आर्थिक घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, अधिक से अधिक स्थानिक निकायों को पात्र ऋणकर्ता के रूप में अनुमति देकर, अधिक निकायों को ऋणदाताओं के रूप में मान्यता देकर, अंतिम उपयोग का विस्तार करके और ऐसे उधारों के लिए संपूर्ण लागत एवं न्यूनतम परिपक्वता आवश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाकर पिछले कुछ वर्षों से विदेशी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) के स्वरूप को बेहतर बना रहा है। ईसीबी नीति में हाल ही में किए गए बदलाव इस निरंतर प्रयास और कारोबार करने में आसानी को प्रोत्साहित करने के ही भाग हैं।

(घ): पिछली नीति से भिन्न जिसमें पात्र ऋणकर्ताओं को विनिर्माण, सॉफ्टवेयर विकास, अवसंरचना, पोत परिवहन एवं एयरलाइन्स कंपनियों आदि तक सीमित कर दिया गया था, नई संरचना में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्राप्त करने के लिए पात्र सभी निकायों को शामिल करने के लिए पात्र ऋणकर्ताओं की सूची का विस्तार किया गया है।

इसी प्रकार, पात्र ऋणदाताओं की सूची निकायों की चुनिन्दा कोटि से बढ़ाकर किसी भी ऐसे निकाय तक कर दी गई है जो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) अनुपालक देश का रहने वाला हो।

*****